# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी : मनोज (R.A.S)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 61/2022 (GCMS No. 2022/00120)

प्रार्थीगण
1. जीवणराम पुत्र टोडूराम जाति जाट निवासी गुगड़वार तहसील कुचामन जिला नागौर (राज.)
2. रतनाराम पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी गुगड़वार तहसील कुचामन जिला नागौर (राज.)
3. प्रभुराम पुत्र पूसाराम जाति जाट निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन जिला नागौर (राज.)

अप्रार्थीगण
1. सरजू देवी पत्नी प्रभुराम पोषक जाति जाट निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)
2. वन्दना अग्रवाल पत्नी नरेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)
3. राधेश्याम झंवर पुत्र तेजपाल झंवर जाति महाजन निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)
4. रामकिशोर सेवदा पुत्र गोरधन लाल सेवदा जाति ब्राह्मण जाति महाजन निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)
5. ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)
6. मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम नोनपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित :
1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह मेड़तिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अशोक कुमार पूरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

## निर्णय

दिनांकः 17.04.2023

हस्तगत प्रकरण के सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रस्तुत कर इस न्यायालय के राजस्व वाद बाबत बँटवारा, रिकॉर्ड दुरुस्ती, इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद संख्या 40/201[illegible] सरजू [illegible] व अन्य बनाम मणिदेवी व अन्य में पारित एक–पक्षीय [illegible] जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई किये [illegible] प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस [illegible] किये गए तत्पश्चात् जिला अभिलेखागार से मूल राजस्व वाद 40/2012 की पत्रावली तलब की गयी।

1. प्रार्थी का मूल कथन यह है कि राजस्व वाद संख्या 40/2012 सरजू देवी व अन्य बनाम मणिदेवी व अन्य में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 1 से 20 के प्रावधानों को नहीं अपनाते हुए आदेश 5 नियम 20 (1क) की दरख्वास्त का

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

निस्तारण उसी दिन कर अखबार साया से प्रतिवादीगण की तलबी का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध था। इस प्रकार प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से करवाए जाने का प्रयास न्यायालय द्वारा नहीं किया गया व एक तरफा निर्णय व डिक्री प्रतिवादी संख्या 14,15 व 16 के विरुद्ध पारित कर दी गयी।

2. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 28/05/2013 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी है उसे अपास्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जावे तथा प्रार्थीगण को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत देरी की माफी का लाभ प्रदान किया जावे।

सुनवाई के दौरान दिनांक 20/01/2023 को अधिवक्ता अशोक कुमार पुरी द्वारा मांगीलाल पुत्र दानाराम जाट निवासी नोनपुरा की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. तथा आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 सरजूदेवी पत्नी प्रभुराम पोषक, वादी संख्या 2 वन्दना अग्रवाल पत्नी नरेश अग्रवाल, वादी संख्या 4 रामकिशोर सेवदा पुत्र गोरधन लाल सेवदा, वादी संख्या 5 ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा ग्राम पनवाड़ी के खसरा संख्या 428/48 रकबा 0.1445 हेक्टेयर भूमि में स्थित अपने एक हिस्से की भूमि रकबा 0.1156 हेक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत बेचान दिनांक 13/04/2022 को प्रार्थी को कर दिया। प्रार्थी द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि का पट्टा नगर–परिषद् कुचामन सिटी से पट्टा संख्या 134/22 प्राप्त कर दिनांक 29/08/2022 को उप–पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय से पंजीबद्ध करवा लिया गया है। वाद–ग्रस्त खसरों में प्रार्थी का हक निहित है इसलिए प्रार्थी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी को सुने बिना आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का सही तरीके से निस्तारण नहीं हो सकता इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश फरमावें। अंतिम आदेश किये जाने से पूर्व इस प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से सर्वप्रथम इस प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. तथा आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी का इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोध नहीं होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मांगीलाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी नोनपुरा को पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किया जाता है।

3. इस प्रार्थना–पत्र के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि "प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। वाद संख्या 40/2012 में सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रतिवादीगण की तामील मानते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं राजस्व वाद संख्या 40/2012 में प्राथमिक डिक्री का आदेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में बँटवा[illegible] पुनः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार व विधि अनुसार बँटवा[illegible] कर पेश की गयी। पटवारी, आर.आई. एवं तहसीलदा[illegible] स्कीम के अनुसार वाद संख्या 40/2012 में अंतिम [illegible] जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से ही रही है। राजस्व रिकॉर्ड में भी न्[illegible]य की डिक्री की अनुसार अमल दरामद किया गया है। यह बात कटाई मानने योग्य नहीं है कि कोई खातेदार 9 वर्ष तक राजस्व रिकॉर्ड देखे ही नहीं। प्रार्थी द्वारा समय–समय पर राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की गयी हैं जिससे भी प्रार्थी को डिक्री की जानकारी थी परन्तु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थि को तंग एवं परेशान करने के लिए यह गलत तथ्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

*Civil Appeal 4669/2019 D.O.J. 07/05/2019* एवं *सी.पी.सी. आदेश 5 नियम 20, WLC 2012(1) पेज 759 बाल किशन शर्मा व अन्य बनाम राधेश्याम (HC) D.O.J- 23/12/2011* प्रस्तुत किये।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं अध्ययन किया। जिला अभिलेखागार से प्राप्त मूल राजस्व वाद संख्या 40/2012 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रतिस्थापित तामील के आधार पर एक–पक्षीय कार्यवाही की जाकर डिक्री पारित की गयी है जिसके विरुद्ध यह प्रार्थना–पत्र करीब 9 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से नहीं करवाया जाना सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 1 से 20 की प्रक्रिया की पालना नहीं करवाया जाना बताया गया है एवं डिक्री तथा निर्णय की जानकारी वादीया सरजूदेवी के पति प्रभुराम पोषक के द्वारा 01/03/2022 को होने का कथन किया है।

7. उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पश्चात विधिक स्थिति निम्न प्रकार परिलक्षित होती है एवं उल्लेखनीय है –

सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 5 नियम 20 (1)क –

जहाँ उप–नियम (1) के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारबार करना या अभिलाष के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है।

*(1976 के अधि.सं. 104 की धारा 55 द्वारा (01/02/1977 से अंतःस्थापित)*

(2) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव – नयायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानों वह स्वयं प्रतिवादी पर पर की गयी हो ।

सिविल प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधानों के प्रकाश में वकील प्रार्थी के लिखित बहस के कथन कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल 123 की व्याख्या अनुसार स्थानापन्न तामील को सम्यक तामील नहीं समझा जावेगा स्वीकार्य योग्य नहीं है।

8. आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. — " A conjoint reading of order 9 rule 13 CPC and section 96(2) CPC indicates that the defendant who suffered on Ex-parte decree has two remedies (i) either file an application under O9R13 to set aside the Ex-Parte decree to satisfy the court that summons we are not duly served or those served he was prevented by "Sufficient [illegible] court when suit called for hearin, *(Supreme Court C.A. 4669/2[illegible]7/05/2019)*

9. Limitation Act 1963 Section-5 Condonation of Delay [illegible] and 108 days in filing appeal application and affidavit filed, [illegible] several important points – cause shown for delay wholly insatisfactory and same ignored by high court order of high court condoning dela[illegible]et aside appeal against judgement of trial court dismissed." *WLC 2012(1) Pg. 759*

10. Doctrine of Laches – It is well settled principle of law that those person who are vigilent of their rights came to the court within reasonable time. They are entitled for the relief and those person who slept over their rights and fing morning if they prefer to file suit or application after laps of inordinate delay would not be entitled any relief.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

**11.** *लक्ष्मी बनाम रंजीत 20 WR 375 PC* के वाद में प्रिवी काउन्सिल ने कहा कि "समुदाय को शान्ति और सुस्थिरता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि संपत्ति के हक और सामान्यतः अधिकारों के मामले को निरंतर अनिश्चितता, द्विविधा की हालत में नहीं होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का निरंतर भय और अनिश्चितता की भावना "डेमाक्लीज की तलवार" की तरह लटकती रहती है तथा राज्य के विकास और समृद्धि को अवरुद्ध कर देती है और परिश्रम को ठप्प कर देती है जबकि उसके फलों का उपभोग अधिनियम का उद्देश्य के दीर्घकालिक कब्जे (Long Possession) को शांत कर देता है।

**12.** प्रार्थी द्वारा यह आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी.पी.सी. निर्णय व डिक्री की दिनांक 28/05/2013 के करीब 9 वर्ष की दीर्घावधि पश्चात् पेश किया गया है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में विलम्ब का समुचित, पर्याप्त व संतोषप्रद कारण प्रकट नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थी अपने केस के प्रति सजग नहीं रहा एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुयी असाधारण देरी (In ordinate delay) का कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे कि प्रार्थना–पत्र प्रस्तु करने में हुयी 9 वर्ष की देरी को माफ किया जा सके। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 मायाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.27 13:09:38 IST
Reason: SelfAttested